प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 130/**2023** (अपील सूचना का अधिकार)

पुष्पेन्द्र कुमार पटेल निवासीः ग्राम व पोस्टः अमगंवा, तहसील व जिला–अनूपपुर, मध्यप्रदेश–484330

...............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

...................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 6-11-2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 11.08.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/130/23/1385 दिनांक 18.10.2023 से लिखा गया।

अपीलार्थी अनुपस्थित। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किये गये।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने जवाब जरिये पत्रांक प./41/2/सू.अ./प्रथम अपील/212/2023/1156 दिनांक 19.10.2023 से जवाब प्रस्तत कर कार्यालय का अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.08.2023 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र में वर्णितानुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना का संबंध उपवन संरक्षक, राजसमन्द से होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक 894–895 दिनांक 17.08.2023 द्वारा अंतरित कर दिया गया एवं उक्त अंतरण के बारे में प्रार्थी को भी सूचित कर दिया गया। अतः प्रथम अपील निस्तारित करने की कृपा करावें।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना का संबंध उपवन संरक्षक, राजसमन्द से होने से प्रत्यर्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत उपवन संरक्षक, राजसमन्द को अंतरित किया गया। जिसकी सूचना से अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 894–895 दिनांक 17.08.2023 से अवगत करा दिया गया था।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना का संबंध उपवन संरक्षक, राजसमन्द से होने से प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अंतरित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रकरण में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

अपीलार्थी को चाहिए कि वह उपवन संरक्षक, राजसमन्द के कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित सूचना प्राप्त करे एवं सूचना नहीं मिलने की स्थिति में सक्षम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करे।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर